न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 04/2026 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2026/5
दायर दिनांक :– 05.01.2026 निर्णय दिनांक :– 27.04.2026

1. झबरूराम पुत्र लूणाराम जाति विश्नोई निवासी मानेवड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी (राज.)

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आशय से पेश किया कि वादी की खरीदसुदा खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 448 रकबा 0.3885 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 454 रकबा 4.4677 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा चाम्पासर पटवार हल्का चाम्पासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। वादग्रस्त भूमि जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र के वादी ने खरीद की थी जिसमें वादी का बचपन का एवं बोलता नाम जबरलाल पुत्र लूणाराम टंकित किया हुआ है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर खरीद अनुसार वादी के पक्ष में नामान्तरकरण भी भरा जाकर स्वीकृत हो चुका है लेकिन वादी का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम झबरूराम पुत्र लूणाराम है इसी नाम से वादी के पहचान संबंधित दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि बने हुवे है तथा वादी के खातेदारी की अन्य भूमि में भी वादी का नाम झबरूराम पुत्र लूणाराम जर्द है और घर परिवार व गांव में भी वादी का झबरूराम पुत्र लूणाराम के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है तथा इसी नाम से सभी सव्यवहार करता है लेकिन राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वादी का नाम जबरलाल पुत्र लूणाराम ही दर्ज है। उक्त भिन्नता की वजह से वादी अपनी उक्त कृषि भूमि पर कृषि विधुत कनेक्शन, कृषि ऋण व अन्य राजस्व संबंधित सुविधायें नहीं ले पा रहा है तथा नही उसे किसी प्रकार की सरकार सहायता प्राप्त हो रही है तथा अन्य पेरशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिये वादी ग्राम चाम्पासर पटवार हल्का चाम्पासर तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 448 रकबा 0.3885 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 454 रकबा 4.4677 हैक्टेयर भूमि में दर्ज वादी के बोलते नाम जबरलाल पुत्र लूणाराम के स्थान पर सही एवं वास्तविक तथा दस्तावेजी नाम झबरूराम पुत्र लूणाराम के नाम से खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर कथन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर नाम दुरूस्ती की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है। वादी ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया इनके बयान पी.डब्लू–1 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

Satya
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2077–2080 ग्राम चाम्पासर पटवार हल्का चाम्पासर तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 448 रकबा 0.3885 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 454 रकब[redacted] 4.4677 हैक्टेयर स्थित है। वादी का नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी में जबरलाल पुत्र लूणाराम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, वादी के नाम दर्ज अन्य खेत खसरान् की जमाबंदी, वादी के बयान् इत्यादि से साबित है कि वादी का नाम झबरूराम पुत्र लूणाराम है। वादी के बयान पी.डब्लू–1 में जामबंदी सम्वत 2077–80 प्रदर्श–1, पंजीबद्व विकय विलेख प्रदर्श–2, जन आधार कार्ड प्रदर्श–3ए, पेन कार्ड प्रदर्श–4ए, परिचय पत्र प्रदर्श–5ए, जमाबंदी सम्वत 2076–79 प्रदर्श–6 है। वादी को जबरलाल के स्थान पर झबरूराम के नाम से खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम चाम्पासर पटवार हल्का चाम्पासर तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 448 रकबा 0.3885 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 454 रकब[redacted] 4.4677 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम जबरलाल के स्थान पर झबरूराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार घंटियाली माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। डिकी पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

1. झबरूराम पुत्र लूणाराम जाति विश्नोई निवासी मानेवड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी (राज.)

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 04/2026

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सत्य नारायण–I पीठासीन अधिकारी व हाजिर मदनसिंह भाटी मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम चाम्पासर पटवार हल्का चाम्पासर तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 448 रकबा 0.3885 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 454 रकबश 4.4677 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम जबरलाल के स्थान पर झबरूराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार घंटियाली माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। नीचे

मुतालिक बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.04.2026 को जारी की गई।

Satya

(सत्य नारायण–I R.A.S.)

सहायक कलक्टर

बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।